राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1270/2013/जयपुर
अपील संख्या 1271/2013/जयपुर
अपील संख्या 1272/2013/जयपुर
अपील संख्या 1273/2013/जयपुर
अपील संख्या 1274/2013/जयपुर
अपील संख्या 1275/2013/जयपुर

मैसर्स गरवारे वाल रोप्स लिमिटैड
1/4,सिविल लाईन्स,सी.एम.हाउस के सामने, जयपुर — अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन,जोन–प्रथम,जयपुर — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री ओ.पी.सैनी, अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री एस.एन.असावा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 10.06.2016

निर्णय

उपरोक्त छः अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय प्राधिकारी–तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 337, 338, 339, 340, 341 व 342/अपील्स–III/ आरवीएटी/ जयपुर/2012–13 में पारित संयुक्तादेश दिनांक 03.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन–प्रथम, जयपुर द्वारा वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2009–10,2010–11एवं 2011–12 में पारित पृथक–पृथक– कर निर्धारण आदेश दिनांक 01.01.2013 के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार कर ब्याज एवं शास्तियॉ आरोपित की गई हैं :–

अ.सं.	कर	ब्याज	शास्ति
1270/13	1434084/–	1061122/–	2868168/–
1271/13	1597251/–	990296/–	3194502/–
1272/13	1800422/–	900211/–	3600844/–
1273/13	2548541/–	1019416/–	5097082/–
1274/13	1544570/–	342180/–	3089140/–
1275/13	1870424/–	261859/–	3740848/–

कर निधारण अधिकारी द्वारा उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित कर,ब्याज एवं शास्तियों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए कर एवं ब्याज को यथावत

रखा है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उपरोक्त छः अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 01.02.2012 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिजनेस मैनेजर श्री राजीव गुप्ता की उपस्थिति में किया गया । सर्वेक्षण के समय प्रस्तुत रिकार्ड की जांच पर पाया गया कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा 'P.P.Ropes, Polymide (Nylone) Multifilament yarn Ropes,Polyster Multifilament yarn / Ropes' का विक्रय किया जाता है, जिस पर आलोच्य अवधि में 4 प्रतिशत की दर से वैट संग्रहित किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त जांच पाया कि व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल 'Rope made of other than natural fiber' है तथा वैट अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 157 से आच्छादित नहीं है। माल 'रोप' के सेम्पल्स लिये गये तथा उन्हें पत्रावली पर रखा गया तथा इसकी जांच हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 75 (1) कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में उन्होंने कर दर अनुसार बिक्री की वांछित सूचना पेश की,जिसमें कर दर तथा सम्बन्धित टैक्स अनुसूची व इसकी प्रविष्टि संख्या का भी उल्लेख किया तथा रोप/पैकिंग पर 4प्रतिशत/5 प्रतिशत,अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 95 व 116 का अंकन किया गया है। प्रत्युत्तर में यह भी अंकित किया गया कि उसके द्वारा Poly Proplene Ropes, Polymide (Nylone) Multifilament yarn Ropes,Polyster Multifilament yarn Ropes,sysnthetic ropes, composit fiber ropes etc. का विक्रय किया जा रहा है न कि पैकिंग मैटीरियल था। उनके द्वारा sabai grass rope का विक्रय किया जा रहा है। प्रत्युत्तर में उनके द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वैट अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्ट संख्या 157 Rope made of other than natural fiber दिनांक 28.04.2006 से जोडी गयी है, जिससे स्पष्ट होता है कि Rope made of natural fiber पर राज्य सरकार 4 प्रतिशत से कर आरोपण चाहती है जबकि Rope made of other than natural fiber पर वैट अनुसूची–पंचम में कर दर 12.5 प्रतिशत से निर्धारित है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जा रहे माल रोप को देखने, उसके लीफ आउट/केटलॉग, वैट अनुसूची तथा अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर के विनिश्चय आदि के अध्ययन के उपरान्त पाया कि Poly Proplene Ropes, Polymide (Nylone) Multifilament yarn Ropes,Polyster Multifilament yarn Ropes,sysnthetic ropes, composit fiber ropes etc. पर वैट–अनुसूची–पंचम के तहत आलोच्य अवधि में 12.5 प्रतिशत से कर दायित्व था, इसलिए उन्होंने अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए 8.5 प्रतिशत की दर से उपरोक्त तालिका के अनुसार अन्तर कर आरोपित किया तथा उक्त कर को अदेय मानकर उस अनुज्ञेय ब्याज आरोपित किया है।

कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा कर दर की गलत विवेचना करने के कारण आलोच्य अवधि में बिक्रीत माल पर 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 4 प्रतिशत की दर से कर

संग्रहित करने को सोची समझी युक्ति के तहत किया जाना मानकर और इस कार्य को व्यवहारी का अपराध मानते हुए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत कर की दोगुनी शास्तियॉ उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित की है। उक्त प्रकार से आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए आरोपित शास्तियों को अपास्त किया। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपीलों में कर एवं ब्याज को विवादित करते हुए उसे अपास्त करने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Poly Proplene Ropes, Polymide (Nylone) Multifilament yarn Ropes,Polyster Multifilament yarn Ropes,sysnthetic ropes, composit fiber ropes etc. का विक्रय उसके द्वारा किया जा रहा है और यह विक्रय पैकिंग मैटीरियल के विक्रय की श्रेणी में नहीं आता है। उनका कथन है कि वैट अनुसूची–चतुर्थ की प्रविष्ट संख्या 157 Rope made of other than natural fiber दिनांक 28.04.2006 से जोडी गयी है, जिससे स्पष्ट होता है कि Rope made of natural fiber पर राज्य सरकार 4 प्रतिशत तथा Rope made of other than natural fiber पर वैट अनुसूची–पंचम में निर्धारित कर दर 12.5 प्रतिशत से करारोपण चाहती है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने वैट–अनसूचियों का गलत निर्वचन करते हुए अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया गया है, जिसकी प ुष्टि अपीलीय अधिकारी ने अनुचित रूप से की है, जो अपास्त योग्य है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय अधिकारी के स्तर पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का हवाला देते हुए प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि नवीनतम स्पष्टीकरण दिनांक 28.1.2.2012 के अनुसरण में विवादित माल पर कर देयता सामान्य दर से ही होना स्पष्ट होता है, जो कर निर्धारण अधिकारी के लिए बाध्यकारी होने से अपीलार्थी कम्पनी द्वारा बिक्रीत माल पर 8.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जाना तथा उक्त कर को अदेय मानते हुए उस पर ब्याज आरोपित किया जाना पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों की विवेचना के पश्चात ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखा है,जो पूर्णतः विधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलीय स्तर पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण के दौरान अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत लेखा विवरण पर पाया गया है कि

व्यवहारी द्वारा P.P.Ropes, Polymide (Nylone) Multifilament yarn Ropes,Polyster Multifilament yarn Rope का राज्य में विक्रय किया है, जिस पर उसके द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर राजकोष में जमा कराया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी कम्पनी द्वारा बिक्रीत माल को Rope made of natural fiber के अन्तर्गत आना नहीं मानकर इसको Rope made of other than natural fiber मानते हुए उस पर 12.5 की दर से देयता मानी है, जबकि व्यवहारी कम्पनी उस पर उस पर 4 प्रतिशत की दर से वैट वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है,इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने 8.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं उक्त कर को अदेय मानकर उस ब्याज उपरोक्त तालिका के अनुसार आरोपित किया है। उपरोक्त प्रकार से आरोपित कर एवं ब्याज को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने उसे यथावत रखा है।

रिकार्ड से यह ज्ञात होता है कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा 'Sabai grass and ropes' प्रविष्टि संख्या 116 वैट अनुसूची–चतुर्थ के तहत उक्त रोप्स का विक्रय किया जा रहा था Nylone Rope,Synthetic Rope,P.P.Rope etc. को other than natural rope ही मानना विधि अनुकूल है क्योंकि इस पर भी राज्य सरकार को 4 प्रतिशत कर दर रखना होता तो फिर दिनांक 28.04.2006 कर प्रविष्टि संख्या 157 Rope made of natural fiber अधिसूचित नहीं की जाती। Sabai grass and ropes की प्रविष्टि के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना उचित होता कि Sabai grass तो एक प्रकार की घास है तथा घास कर मुक्त है। इस प्रकार natural fiber के अलावा किसी अन्य मैटीरियल से बने रोप स्वतः ही वैट अनुसूची–पंचम के तहत सामान्य कर दर माल की श्रेणी में आ जाते हैं।

अपीलीय अधिकारी द्वारा इन्ही तथ्यों को अपीलाधीन आदेश में अंकित करते हुए निम्न प्रकार से निष्कर्ष अंकित करते हुए कर एवं ब्याज को यथावत रखा है :–

"इस सम्बन्ध में श्रीमान् अतिरिक्त आयुक्त, वैट एण्ड आई टी क कर दर सम्बन्धी स्पष्टीकरण क्रमांक प.5सी(254)एसीसीटी/वैटआईटी/करदर/10/1535 दिनांक 28.12.2012 की प्रति प्रस्तुत कर अवगत कराया कि P.P.Ropes, Polymide (Nylone) Multifilament yarn Ropes,Polyster Multifilament yarn Rope उक्त आईटम्स वैट अनुसूची–I,II, III, IV व VI के तहत कर योग्य माल नहीं है अर्थात् उक्त माल वेट अनुसूची V के अनुसार कर योग्य होना स्पष्ट है । विवादित माल पर कर दर की देयता के बाबत् विभाग का यह स्पष्टीकरण नवीनतम हे। इसमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ही कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त करारोपण किया है। अतः विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कर एवं ब्याज के बिन्दु पर उठाई गई आपत्ति एवं प्रस्तुत तर्क विधि सम्मत नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज को यथावत रखा जाता है।"

प्रकरण के समग्र तथ्यों पर विचार करने के पश्चात अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज बैंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है,जिससे उक्त अपीलीय निर्णय में उसमें हस्तक्षेप किया जाये, इसलिए उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के कर एवं ब्याज के बिन्दु पर दिये गये निष्कर्ष को यथावत रखा जाता है।

फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई सभी छः अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा)
सदस्य

(ओ.पी.सैनी)
अध्यक्ष